रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई, 21, 1972/आषाढ़ 30, 1894

No. 193] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 1972/ASADHA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July 1972

THE GOVERNORS OF THE STATES OF MANIPUR AND TRIPURA (ALLOWANCES AND PRIVILEGES) ORDER, 1972.

G.S.R. 189.—The following Order made by the President on 15th July, 1972 is published for general information:—

In pursuance of section 48 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the President hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Governors of the States of Manipur and Tripura (Allowances and Privileges) Order, 1972.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of January, 1972.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. In this Order,—

(a) "Governor" means the Governor of the State of Manipur or Tripura.

(b) "acting Governor" means a person appointed by the President to discharge the functions of a Governor;

(c) "maintenance" in relation to official residence includes the payment of local rates and taxes and the provision of electricity, gas and water and in relation to motor cars, includes the pay and allowances of chauffeurs and the provision of oil and petrol;

(d) "Official railway saloons, river craft and aircraft", in relation to the Governor, means such railway saloons, river craft and aircraft, if any, as may be provided for use;

(e) "official residence" in relation to the Governor means the official residence specified in column (2) of the First Schedule to this Order and includes such other residence or residences as may be used as the official residence or residences of the Governor and also includes the staff quarters and other buildings appurtenant thereto and the gardens thereof;

(f) "State" means the State of Manipur or Tripura.

4. (1) There shall be paid to the Governor, including an acting Governor, in connection with his appointment, an allowance equal to his actual expenses in travelling, with his family if any, and his family's effects, to take up his duties as Governor or acting Governor, as the case may be, and a similar allowance on his vacating the office of Governor, or acting Governor, to return to the place where he ordinarily resided at the time of his appointment

(2) There shall also be paid to the Governor but not an acting Governor, in connection with his appointment—

(i) a sum to be fixed from time to time by the President and to be payable subject to such conditions as may be determined by him, to be spent on the purchase of suitable motor cars for the use of the Governor; and

(ii) Governor's actual expenses on the freight and insurance in transporting those motor cars to the State.

5. The Governor, throughout his term of office, shall be entitled, without payment of rent or hire, to the use of his official residence and official railway saloons and river craft and aircraft and of the motor cars provided for his use, and no charge shall fall on him personally in respect of the maintenance thereof.

6. (1) There shall be paid from time to time to the Governor an allowance equal to his actual expenses in renewing the furnishings of his official residence, so, however, that the total amount paid shall not exceed the maximum specified in column (3) of the First Schedule to this Order:

Provided that if, when the Governor assumes office, the period which has elapsed since his predecessor assumed office (acting Governors being disregarded) falls short of five years, the maximum so specified shall be decreased by such amount as the President may by special order determine.

(2) Sub-paragraph (1) does not apply to an acting Governor.

7. In order that the Governor may be enabled to discharge conveniently and with dignity the duties of his office, there shall, in each year, be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State concerned—

(a) for each of the purposes specified in the Second Schedule to this Order such amount not exceeding the maximum amount specified in the appropriate column of that Schedule, as may be reuired by the Governor;

(b) for the maintenance, improvement, renewal or replacement of the Governor's official residence such amount not exceeding the maximum amount specified in the Third Schedule to this Order, as may be required by the Governor; and

(c) such amount for expenditure on official railway saloons as may be determined by special order of the President:

Provided as follows :—

(1) that the Governor may, with the approval of the President, reappropriate, whenever necessary, from one sub-head to another sub-head

specified in the Second Schedule, but so as not to exceed the maximum amount specified in column (8) thereof;

(2) that the maximum amount specified in column (8) of the Second Schedule may in any year be increased by the amount not expended in previous years and also by such amount as the Governor may consider necessary to defray the leave allowances and pension charges of the Aide-de-Camp;

(3) that if dearness or other allowance admissible at the commencement of this Order be merged in the pay or increased or reduced at any time, the maximum amount specified against any of the appropriate sub-heads of the Second Schedule shall be deemed to have been increased or reduced accordingly;

(4) that no expenditure shall be incurred on the maintenance, improvement, renewal or replacement of official residence in excess of the amounts specified in the Third Schedule except with the special order of the President which must be obtained in advance;

(5) that the Governor may without exceeding the maximum specified in column (8) of the Third Schedule, reappropriate, whenever necessary, from one sub-head of the said Schedule to another sub-head thereof.

8 No customs duties shall be levied on the following articles if imported or purchased out of bond by the Governor on appointment or during his tenure of office—

(a) articles for the personal use, wear or consumption of the Governor or any member of his family;

(b) food, drink, and tobacco for consumption by members of the Governor's household or by his guests, whether official or not;

(c) articles for the furnishing of any of the Governor's official residences;

(d) motor cars provided for the Governor's use.

9. Notwithstanding the cesser of operation of the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Governors' Allowances and Privileges) Provisional Order, 1972, anything done or any action taken under the said Order shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

[*See* paragraph 3 (e) and 6(1)]

State	Official Residence	Maximum Allowance to the Governor for renewal of furnishings. ......
(1)	(2)	(3)
Manipur	The Government House at Imphal	Rs. 20,000
Tripura	The Government House at Agartala	Rs. 20,000

THE SECOND SCHEDULE

(*See* paragraph 7)

Maximum Yearly Amounts charged on the Consolidated Fund of the State in respect of certain matters

State	Sumptuary Allowance	Staff and Household					
		Comptroller of the House hold/ADC and his establishment	Entertainment Allowance	Maintenance and repairs of furnishings of official residences	Contract Allowance i. e. an allowance for miscellaneous expenses including maintenance of motor cars	Tour Expenses	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Manipur	3,000	60,000	500	2,000	35,000	1,30,000	2,30,500
Tripura	3,000	60,000	500	2,000	40,000	1,30,000	2,35,500

Statement showing the amount allotted for the period from 21st January to 31st March, 1972

Manipur	1,200	14,000	200	1,000	2,500	20,000	38,900
Tripura	1,200	17,000	200	1,000	2,500	26,000	47,900

THE THIRD SCHEDULE

(*See* paragraph 7)

Maximum Yearly Amounts in respect of Official residence of Governors—Maintenance and repairs

State	Improvement	Gardens	Electricity	Water	Taxes	Repairs	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Manipur	10 000	35,000	20,000	1,000	2,000	70,000	1,38,000
Tripura	20,000	20,000	24,000	7,000	..	30,000	1,01,000

Statement showing the amount allotted for the period from 21st January to 31st March, 1972

State	Improvement	Gardens	Electricity	Water	Taxes	Repairs	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Manipur	..	..	Rs. 5,000	.	..	..	..
Tripura	..	..	Rs. 5,000	..	..	..	..

MEMORANDUM

On the reorganisation of North-Eastern areas, the Governor of Assam and Nagaland was appointed also as the Governor of Manipur and Tripura. As the formulation and consideration of proposals relating to the allowances of the Governor in relation to the Raj Bhavans in these States would have taken time, a provisional Order entitled the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Governors' Allowances and Privileges) Provisional Order, 1972 was issued to cover the period from the 21st January, 1972 to 31st March, 1972. This Order which seeks to replace the provisional Order has, therefore, been given retrospective effect from the 21st January, 1972. No one's interest is prejudicially affected by reason of the retrospective effect as is being given in this Order.

V V. GIRI,
President.

[No. 2/2/72 Pub(I).]
K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1972

मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1972

सा० का० नि० 15 जुलाई, 1972 को राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 48 के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1972 है ।

(2) यह 21 जनवरी, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वाचन को इसी प्रकार लागू होता है जैसे वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन को लागू होता है ।

3. इस आदेश में,—

(क) "राज्यपाल" से मणिपुर या त्रिपुरा राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(ख) "कार्यकारी राज्यपाल" से राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) शासकीय निवास के संबंध में "अनुदान" के अन्तर्गत स्थानीय रेट और कर देना तथा बिजली, गैस और पानी की व्यवस्था करना भी है और मोटर कारों के संबंध में इसके अन्तर्गत नौकरों के वेतन और भत्ते तथा तेल और पेट्रोल की व्यवस्था भी है;

(घ) राज्यपाल के संबंध में "शासकीय रेल सैलून, नदीयान और वायुयान" से ऐसे रेल सैलून, नदीयान और वायुयान (यदि कोई हों) अभिप्रेत हैं जिनकी व्यवस्था उसके उपयोग के लिए की जाए ;

(ङ) राज्यपाल के संबंध में "शासकीय निवास" से इस आदेश की प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट शासकीय निवास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अन्य ऐसा निवास या अन्य ऐसे निवास भी हैं जिनका उपयोग राज्यपाल के शासकीय निवास या निवासों के रूप में किया जाए तथा उनसे अनुलग्न कर्मचारिवृन्द के क्वाटर और अन्य निर्माण तथा उनके बाग भी इसके अन्तर्गत हैं ;

(च) "राज्य" से मणिपुर या त्रिपुरा राज्य अभिप्रेत है ;

4 (1) राज्यपाल को (जिसके अन्तर्गत कार्यकारी राज्यपाल भी है) उसकी नियुक्ति के संबंध में एक भत्ता दिया जाएगा जो उस वास्तविक व्यय के बराबर होगा जो वह, यथास्थिति, राज्यपाल

या कार्यकारी राज्यपाल के अपने कर्तव्य ग्रहण करने के लिए, अपने कुटुम्ब (यदि कोई हो) सहित तथा अपने कुटुम्ब की चीजवस्तु के सहित, यात्रा पर करे और राज्यपाल या कार्यकारी राज्यपाल का पद रिक्त करने पर उसे वैसा ही भत्ता उसकी नियुक्ति होने के समय के उसके मामुली तौर पर निवास के स्थान तक वापस जाने के लिए दिया जाएगा।

(2) राज्यपाल को (न कि कार्यकारी राज्यपाल को) उसकी नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित भी दिये जाएंगे :–

(I) राज्यपाल के उपयोग के लिए उपयुक्त मोटर कारें खरीदने पर व्यय करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियत की जाने वाली धनराशि जो ऐसी शर्तों पर दी जाएगी जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाएं, तथा

(II) उन मोटर कारों को उस राज्य में से जाने के भाड़े और बीमे पर होने वाला राज्यपाल का वास्तविक व्यय ;

5 राज्यपाल अपनी पूरी पदावधि पर्यन्त इस बात का हकदार होगा कि कोई किराया या भाड़ा दिए बिना अपने शासकीय निवास तथा राजकीय रेल सैलूनों, नदीयान और वायुयान का तथा उसके उपयोग के लिए व्यवस्थित मोटरकारों का उपयोग करे और उनके अनुरक्षण की बाबत होने वाले किसी व्यय का भार स्वयं उस पर न पड़ेगा।

6 (1) राज्यपाल को समय-समय पर एक भत्ता दिया जाएगा जो उस वास्तविक व्यय के बराबर होगा जो उसके शासकीय निवास की साजसज्जा के नवीकरण पर हो, किन्तु दी गई कुल रकम इस आदेश की प्रथम अनुसूची के स्तंभ (3) में दी गई अधिकतम रकम से अधिक न होगी।

परन्तु यदि (कार्यकारी राज्यपालों का छोड़कर) उसके पदपूर्ववर्ती के पद ग्रहण करने के समय से उसके पद ग्रहण करने तक व्यतीत हुआ समय पांच वर्ष से कम हो तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम में से उतनी रकम घटा दी जाएगी जितनी राष्ट्रपति विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

(2) उप-पैरा (1) कार्यकारी राज्यपाल को लागू नहीं होता है।

7 राज्यपाल को अपने पद के कर्तव्यों का सुविधापूर्वक एवं गरिमा के साथ निवहन करने में समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित राशियों प्रति वर्ष संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएंगी और उसमें से दी जाएंगी :–––

(क) उस आदेश की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रयोजन के लिए उस अनुसूची के समुचित स्तंभ में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अनधिक ऐसी रकम जिसकी राज्यपाल अपेक्षा करे।

(ख) राज्यपाल के शासकीय निवास के अनुरक्षण, सुधार और नवीकरण और उसे बदलने के लिए, इस आदेश की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अनधिक एसी रकम जिसकी राज्यपाल अपेक्षा करे, तथा

(ग) शासकीय रेल सैलूनों पर व्यय के लिए ऐसी रकम जो राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाए :

परन्तु--

(1) राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्यपाल,] जब भी आवश्यक हो, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पुनर्विनियोग कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार की व्यय उसके स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक न हो ;

(2) द्वितीय अनुसूची के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम में किसी वर्ष में उतनी रकम बढ़ाई जा सकेगी जितनी पूर्व वर्षों में व्यय न की गई हो और उतनी रकम भी बढ़ाई जा सकेगी जितनी राज्यपाल अपने ए० डी० सी० के छुट्टी भत्तों और पेंशन प्रभारों को चुकाने के लिए आवश्यक समझे ;

(3) यदि ऐसे आदेश के प्रारम्भ के समय अनुज्ञेय मंहगाई या अन्य भत्ता किसी समय में मिला दिया जाए अथवा बढा या घटा दिया जाए तो द्वितीय अनुसूची के समुचित उपशीर्षों में से किसी के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम भी तदनुसार बढ़ाई या घटाई गई समझी जाएगी ;

(4) शासकीय निवास के अनुरक्षण, सुधार या नवीकरण या उसे बदलने पर कोई व्यय, पूर्व प्राप्त किये गए राष्ट्रपति के विशेष आदेश के बिना, उन रकमों से अधिक न होगा जो तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ;

(5) तृतीय अनुसूची के स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट अधिकतम का उल्लंघन किए बिना राज्यपाल, जब भी आवश्यक हो, उक्त अनुसूची के एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पुनर्विनियोग कर सकेगा ।

8 यदि राज्यपाल अपनी नियुक्ति होने पर या अपनी पदावधि के दौरान निम्नलिखित कोई वस्तुएं अवैधपत्रित रूप से आयातीत करे या खरीदे तो उस पर किसी उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जायेगा :—

(क) राज्यपाल या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के निजी उपयोग, पहनने या उपभोग की कोई वस्तुएं ;

(ख) राज्यपाल के गृह के सदस्यों द्वारा या उसके अतिथियों द्वारा (चाहे वे शासकीय हों या न हों) उपभोग के लिए खाद्य, पेय और तंबाकू ;

(ग) राज्यपाल के किसी शासकीय निवास की साजसज्जा के लिए वस्तुएं ;

(घ) राज्यपाल के उपयोग के लिए व्यवस्थित मोटर कारें ।

9 पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) अन्तिम आदेश, 1972 का प्रवर्तन समाप्त हो जाने पर भी यह है कि उक्त आदेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस आदेश के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन की गई समझी जाएगी ।

प्रथम अनुसूची

(पैरा 3 (इ०) तथा 6(1) देखिए)

राज्य	शासकीय निवास	साजसज्जा के नवीकरण के लिए राज्यपाल का अधिकतम भत्ता
(1)	(2)	(3)
मणिपुर	इंफाल स्थित राजभवन	20,000 रु०
त्रिपुरा	अगरतला स्थित राजभवन	20,000 रु०

द्वितीय अनुसूची

(पैरा 3 देखिए)

कुछ विषयों की बाबत राज्य की संचित निधि पर भारित अधिकतम वार्षिक रकमें

राज्य	सत्कार भत्ता	स्टाफ और कर्मचारिवृन्द					योग
		ए०डी०सी० राजभवन प्रबंधक का स्थापन	सत्कार भत्ता	शासकीय निवास की साजसज्जा का अनुरक्षण और उस की मरम्मत	संविदा भत्ता विविध व्ययों के लिए जिन के अंतर्गत मोटरकारों का अनुरक्षण भी है, भत्ता	यात्रा भत्ता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मणिपुर	3,000	60,000	500	2,000	35,000	1,30,000	2,30,500
त्रिपुरा	3,000	60,000	500	2,000	40,000	1,30,000	2,35,50

21 जनवरी से 31 मार्च, 1972 तक की कालावधि के लिए आवंटित रकमों का विवरण

मणिपुर	1,200	14,000	200	1000	2,500	20,000	38,900
त्रिपुरा	1,200	17,000	200	1000	2,500	26,000	47,900

तृतीय अनुसूची

(पैरा 7 देखिये)

राज्यपालों के शासकीय निवासों के अनुरक्षण और उनकी मरम्मत के लिए अधिकतम वार्षिक रकमें

राज्य	सुधार	बाग	बिजली	पानी	कर	मरम्मत	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
मणिपुर	10,000	35,000	20,000	1,000	2,000	70,000	1,38,000
त्रिपुरा	20,000	20,000	24,000	7,000	—	3,0000	1,01,000

21 जनवरी, से 31 मार्च, 1972 तक की कालावधि के लिए आवंटित रकमों का विवरण

राज्य	सुधार	बाग	बिजली	पानी	कर	मरम्मत	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मणिपुर	———	———	———	5,000 रु०	———	———	———
त्रिपुरा	———	———	———	5,000 रु०	———	———	———

ज्ञापन

पूर्वोत्तर क्षेत्रों का पुनर्गठन होने पर आसाम और नागालैंड के राज्यपाल को मणिपुर और त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया। इन राज्यों के राजभवनों से सम्बन्धित राज्यपाल के भत्तों विषयक प्रस्थापनाओं को तैयार करने और उन पर विचार करने में समय लगना स्वाभाविक था। अतः एक अंतिम आदेश 21 जनवरी, 72 से 31 मार्च, 1972 तक के लिए जारी किया गया। इसका नाम था पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) अन्तिम आदेश, 1972। प्रस्तुत आदेश उस अन्तिम आदेश का स्थान ग्रहण करने के लिए है। अतः उससे 21 जनवरी, 1972 से प्रभावी किया गया है। इस आदेश को यह भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

वराहगिरि वेंकटगिरि,
राष्ट्रपति ।

[संख्या 2/2/72-पब्लिक 1]

के० आर० प्रभु,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972